प्रकरण संख्या 26/2017 मु. शंभूडी व अन्य बनाम रूपा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डेडरों की ढाणी में निम्न परिशिष्ठों की आराजियात स्थित है, जो प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता नंगा के खातेदारी व आधिपत्य की है। नंगा के वारिसान प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3 तथा उदा का उक्त भूमियों में समान अधिकार है। उदा की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है, जिससे उदा की हिस्से की भूमि में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3 का समान हक, हित व अधिकार निहित है। नंगा पिता मारामजी की खातेदारी की उपरोक्त आराजियात में प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 से 3 का 1/5 हिस्सा व उदा का 1/5 हिस्सा है। उदा की लाऔलाद मृत्यु हो जाने से उदा के 1/5 हिस्से पर प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3 का समान हित अधिकार है। इस प्रकार प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का उपरोक्त परिशिष्ठों में वर्णित आराजियात में 1/4, 1/4 हिस्सा होकर इसी प्रकार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु विवादित भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं होने से विपक्षी संख्या 4 से 9 का कोई हित व अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन कब्जा करना चाहते हैं। विपक्षी संख्या 4 से 9 उक्त आराजियात उदा पिता नंगा व रामा पिता नंगा से क्रय करना बताते हैं, जबकि बिना विधिवत विभाजन के उदा व रामा को उक्त विक्रय करने का अधिकार ही नहीं था। यदि विपक्षी संख्या 4 से 9 द्वारा किसी प्रकार के विक्रय पत्र निष्पादित करवाये गये हैं तो वह प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध शून्य व बेअसर हैं। नंगा की मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 1 व 3 ने प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 2 की जानकारी के बगैर पटवारी हल्का से मिलकर विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, जिसकी जानकारी होने पर उसके द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के यहां की गयी जो स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया गया। इसके	

बावजूद भी उक्त आराजीयात विक्रय करने पर उतारू हैं व कुछ भूमियों का विक्रय कर दिया गया है, जबकि उक्त भूमियों में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 2 का भी 1/4, 1/4 हिस्सा है। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 13.06.2017 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04.09.2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 6 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सोनी उपस्थित है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 औपचारिक पक्षकार की ओर राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 नगर विकास प्रन्यास की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3 व 7 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी उन्हें दिनांक 22.08.2017 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर हुई। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का अवलोकन करने पर हमने पाया कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखे जाने की किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट को दिया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि राजस्व कैम्प की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के

तीनों बिन्दुओं पर बिना मनन किये कथित निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निरन्तर न्यायालय की छाप लगायी जाकर प्रकरण तलबी में नियत था एवं दिनांक 24.07.2017 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.07.2017 नियत की गयी, किन्तु इसके पूर्व ही अपीलान्ट/वादी को बिना कोई सूचना दिये प्रकरण दिनांक 13.06.2017 को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए बिना तलबी हुए तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर बिना कोई विवेचन किये वादी/अपीलान्ट की अनुपस्थित में निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.02.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 26/2017 मु. शंभूडी व अन्य बनाम रूपा व अन्य

प्रकरण संख्या 26/2017 मु. शंभूडी व अन्य बनाम रूपा व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.03 12:35:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: